भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2211

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन क्षेत्र में विनियमन की आवश्यकता

2211 श्री ए. डी. सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में साहसिक पर्यटन और खेल गतिविधियों में मौतों और गंभीर चोटों की बढ़ती घटनाओं से अवगत है;

(ख) क्या इस उद्योग की बड़े पैमाने पर अनियमित प्रकृति, जिसमें अप्रशिक्षित प्रशिक्षक, सुरक्षा उपकरणों की कमी और पंजीकरण का अभाव शामिल है, को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं;

(ग) क्या सुरक्षा मानकों और ऑपरेटरों के अनिवार्य लाइसेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक ढांचे पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सुरक्षित साहसिक पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा और प्रमुख प्रावधान प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के साथ मिलकर साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत ढाँचा स्थापित करने के उद्देश्य से साहसिक सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और उन्हें तैयार करने/अद्यतन करने के लिए अग्रेषित कर दिये गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहसिक क्रियाकलापों से संबंधित सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियामकों और लाइसेंस संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए।

*****